भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1436

(28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैप किए गए स्व-सहायता समूह

1436. श्री बैजयंत पांडा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैप किए गए महिला स्व-सहायता समूहों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय के पास इन स्व-सहायता समूहों से संबंधित वित्तीय जुड़ाव और ऋण उपलब्धता से जुड़ा डेटा है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय ऐसे समूहों द्वारा की जाने वाली उद्यम गतिविधियों और आजीविका विविधीकरण से जुड़े डेटा की निगरानी करता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या यह डेटा ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए नीतिगत निर्णयों में सहायता करता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुल 10.05 करोड़ ग्रामीण परिवार और 92 लाख महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) मैप किए गए हैं।

(ख) और (ग) जी हां। मंत्रालय एसएचजी बैंक लिंकेज पोर्टल के माध्यम से डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के वित्तीय जुड़ाव और ऋण पहुंच संबंधी आंकड़े रखता है, जो बैंकों से स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्राप्त ऋण की जानकारी दर्ज करता है। स्वयं सहायता समूहों के लिए कुल ऋण संवितरण ₹13,41,852.66 करोड़ है।

(घ) और (ड़) उद्यमियों और उनके उद्यमों की प्रोफाइल दर्ज करने और उनका प्रबंधन करने के लिए एक विशिष्ट मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है। संबंधित हितधारकों के लिए इस एप्लीकेशन के संचालन एवं उपयोग पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है, तथा एप्लीकेशन के माध्यम से डेटा प्रविष्टि की जाती है। यह डीएवाई-एनआरएलएम के तहत ग्रामीण आजीविका के नियोजन, निगरानी और सुदृढ़ीकरण में सहायता प्रदान करता है।
